10.4एफ प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रस्तावना

इस इकाई में हम प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता तथा इस हेतु लिए गए भारत सरकार के कदमों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, प्रशासनिक सुधारों के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सुझाव दिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग इस ओर लिए गए कदमों में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। भारत सरकार ने दो आयोगों का गठन किया, जिसमें पहला आयोग 1966–70 की अवधि में स्थापित किया गया और दूसरा आयोग 2005 में स्थापित किया गया।

अतः हम सबसे पहले पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की चर्चा करेंगे।

पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966–1970

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन गृह मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु किया गया था। श्री मोरारजी आर. देसाई इसके अध्यक्ष थे और बाद में श्री हनुमन्थैया इसके अध्यक्ष बने।

प्रस्ताव में आयोग के जनादेश के बारे में विवरण सम्मिलित था।

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का जनादेश

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को सार्वजनिक प्रशासन में सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने और विकास के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ ही साथ एक सार्वजनिक साधन माना गया ताकि सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और अखंडताके उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके और वे भी, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है। विशेष रूप से आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार व उनकी समीक्षा करना था और इन क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत करने थेः

1. भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
2. सभी स्तरों पर योजना मशीनरी
3. केन्द्र और राज्य सम्बन्ध
4. राज्य स्तर पर प्रशासन
5. वित्तीय प्रशासन
6. कार्मिक प्रशासन
7. आर्थिक प्रशासन
8. जिला प्रशासन
9. कृषि प्रशासन
10. नागरिकों की शिकायतों का निवारण

अपवाद

आयोग रक्षा, रेलवे, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़ी सविस्तार जाँच को अपने सीमा क्षेत्र से अलग कर सकता है क्योंकि इनके पास अपने स्वयं के आयोग हैं। हालाँकि, आयोग, समग्र सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन के सुझाव देते हुए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है।

रिपोर्ट

आयोग ने 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार हैः

1. नागरिकों को शिकायतों के निवारण के मुद्दे
2. योजना के लिए मशीनरी
3. योजना के लिए मशीनरी (अंतिम)
4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
5. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण
6. आर्थिक प्रशासन
7. भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
8. जीवन बीमा प्रशासन
9. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन
10. केन्द्र शासित प्रदेशों और नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एन.ई.एफ.ए.) का प्रशासन
11. कार्मिक प्रशासन
12. वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
13. केन्द्र–राज्य संबंध
14. राज्य प्रशासन
15. लघु स्तर सेक्टर
16. रेलवेस
17. कोषागार
18. भारतीय रिजर्व बैंक
19. डाक एवं तार
20. वैज्ञानिक विभाग

आयोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देते हुए 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सभी 580 सुझाव दिये थे। केन्द्र सरकार ने आयोग द्वारा दी गई 80 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर लिया था। आयोग ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का अन्वेशण किया। आयोग द्वारा सुझावों को राज्यों के ध्यान में लाया गया, जिससे प्रभावी प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित हो सके।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में भारत सरकार के इस संकल्प के साथ स्थापित किया गया था कि लोक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए एक विस्तृत खाका

तैयार किया जा सके। एक अध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य, तथा एक सदस्य सचिव इस आयोग में थे। इसके अध्यक्ष श्री वीरप्पन मोइली थे।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग को जनादेश

सरकारी स्तर पर देश के लिए एक सक्रिय, उत्तरदायी, जबावदेह, सतत और कुशल प्रशासन प्राप्त करने के लिए आयोग को जनादेश दिया गया था। आयोग ने निम्नलिखित विषयों की समीक्षा की:

1. भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना
2. शासन में नैतिकता
3. कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण
4. वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सषक्त बनाना।
5. राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन
6. प्रभावी जिला प्रशासन
7. स्थानीय स्वशासन/पंचायती राज संस्थायें
8. सामाजिक पूँजी, विश्वास, और सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी
9. नागरिक केंद्रीत प्रशासन
10. ई–शासन को बढ़ावा देना
11. संघीय राजनीति के मुद्दे
12. संकट प्रबंधन
13. सार्वजनिक व्यवस्था

अपवाद

आयोग रक्षा, रेलवेस, विदेशी मामलें, सुरक्षा, और गुप्तचर कार्य से जुड़ी सविस्तार जाँच को अपने सीमा क्षेत्र से अलग कर सकता है। ये ऐसे विषय हैं, जिनके स्वयं के आयोग हैं। हालाँकि, आयोग, समग्र सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन की सुझाव करते हुए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है।

रिपोर्ट

आयोग ने सरकार को विचारार्थ 15 रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने मार्च 30, 2007 को मंत्रियों के एक समूह का विदेश मंत्री के अध्यक्षता में गठन किया। इसका कार्य दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर विचार करना, सुझावों के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा करना, तथा इन सुझावों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालयों और विभागों का मार्गदर्शन करना था। अगस्त 21, 2009 से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इसका पुर्नगठन किया गया। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार के लिए एक कोर समूह ने सभी 15 रिपोर्टों की जाँच की और इन रिपोर्टों पर विचार भी किया गया। ये रिपोर्ट निम्नलिखित हैं:

पहली रिपोर्ट	:	सूचना का अधिकार-सुशासन की कुंजी
दूसरी रिपोर्ट	:	मानव–पूँजी का अनावरण-पात्रता और शासन– नरेगा से सम्बन्धित केस अध्ययन

तीसरी रिपोर्ट	:	संकट प्रबंधन– निराशा से आशा तक
चौथी रिपोर्ट	:	शासन में नैतिकता
पाँचवी रिपोर्ट	:	लोक व्यवस्था–सभी के लिए न्याय, सभी के लिए शांति
छठी रिपोर्ट	:	स्थानीय शासन
सातवीं रिपोर्ट	:	संघर्ष के लिए क्षमता निर्माण
आठवीं रिपोर्ट	:	आतंकवाद का मुकाबला (गृह मंत्रालय के अंतर्गत)
नौवी रिपोर्ट	:	सामाजिक पूँजी–एक साझा कर्म
दसवीं रिपोर्ट	:	कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण–नई ऊँचाई को मापना
ग्यारहवी रिपोर्ट	:	ई-गवर्नेंस को बढ़ावा–आगे बढ़ने का तीक्ष्ण तरीका
बारहवी रिपोर्ट	:	नागरिक केन्द्रस्थ प्रशासन–प्रशासन का केन्द्र
तेरहवीं रिपोर्ट	:	भारतीय सरकार की संगठनात्मक संरचना
चौदहवी रिपोर्ट	:	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना
पंद्रहवी रिपोर्ट	:	राज्य और जिला प्रशासन

गतिविधि

हम सभी को देश में अब तक किए गए प्रशासनिक सुधारों पर अपने विचार बिंदुओं को जानने देंगे। आप नौकरशाही में लाइसेंस राज के प्रमुख होने के बारे में जाँच कर सकते हैं, लोक सेवक केवल नीतियों के निष्पादन, लालफीताशाही, गोपनीयता, परिवर्तन अभिविन्यास और ऐसे अन्य संबंधित बिन्दुओं तक सीमित हो सकते हैं।

संदर्भ और अन्य उपयोगी पुस्तकें

- अली. फराजमंद 1999, वैष्विक परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सुधारःएक संगोश्टी सार्वजनिक प्रशासन का अंतर्राश्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम– 22 नं0 6, मार्क डेक्कर इंक, यू.एस.
- फादिया, बी.एल. और कुलदीप फादिया 2006, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनःएडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड कान्सेप्टस, साहित्य भवन प्रकाषन, आगरा
- ओसबोर्न, डेविड और टेड गेबलर, 1993, रीइनवेटिंग गर्वनमेंट, रीडिंग, मैसाचुसेट्स एडिसन वेस्ली, यू.एस.
- सिंह, दीपाली और नफीस. ए. अंसारी, 2007, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इण्डियाः एन ओवरव्यू, इडियन जर्नल ऑफ पब्लिक इडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम III, नं0 3, जुलाई–सितम्बर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली
- FICCI, 2014, हैडबुक ऑन सेंकड एआरसी रिकमनडेषन्स एण्ड रिलेटिड कान्सेप्टस, एटीआई, मैसूर
- गुड्डो वर्डची, 2007, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंसः गवर्नमेंट सर्विंग सीटिज़न्स, 7वें ग्लोबल फोरम ऑन रेइनवेटिंग गवर्नमेंट–बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, ऑनलाइन रिट्रीवल नवम्बर 20, 2015
- कैयडन गैराल्ड, 1970, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस, द पेगुइन प्रेस, एलन लेन, लंदन

- ली, हैन–बिन और एबेलार्डो समोन्ते, 1970 (एड्इट), एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म इन एशिया, ईस्टर्न रिजनल ऑगनाइज़ेषन फॉर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, मनीला
- सिंह, होशियार, 2011, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, डोरलिंग किडरस्ले, (इंडिया) प्राइवेट लिं., नई दिल्ली
- भगवती, जे. और टी.एन. श्रीनिवासन, 1993, इण्डियन इकॉनोमिक रिफार्मस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- चिवलंगी, एम., 2008, इकोलॉजिकल नीड्स फॉर गुड गवर्नेस ऑफ इंडिया, बी.एम. चितलंगी (एड्इट), रिसेट ट्रेन्डस इन पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, आरबीएसए पब्लिषर्स, जयपुर
- हेनरी, निकोलस, 2007, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, प्रैटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- स्यूली सरकार, 2010, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, प्रैटिस हॉल ऑफ इंडिया लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY